

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(1)

टी०ए० मिस केस सं०-72/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.07.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>1.6.8.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>1.6.8.18</u> को उपस्थापित करें। <i>Devi</i> 21.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
16.08.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>15.9.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>15.9.18</u> को उपस्थापित करें। <i>Devi</i> 16.8.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.09.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-980 दिनांक-11.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक बाबूलाल तांती, पिता- स्व० भागीरथ तांती, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- वार्ड नं०-16 पोटका, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-वार्ड नं०-16 चक्रधरपुर, थाना नं०-, खाता नं० 173, प्लॉट नं०- 390, रकबा- 0.04 ए०, क्रेता श्रीराम दास, पिता- निराकर दास, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-उड़न चौका, पो०- सोनुआ, थाना-सोनुआ, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक बाबूलाल तांती, पिता- स्व० भागीरथ तांती, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- वार्ड नं०-16 पोटका, थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता का जाति तांती (अ०पि०वर्ग०), एवं क्रेता का जाति तांती (अ०पि०वर्ग०), समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। उक्त भूमि आवासीय भूमि है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा 0.14.500 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्रीराम दास, पिता- निराकर दास, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- उड़न चौका, पो०- सोनुआ, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम को उक्त भूमि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत बेचने की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। <i>Devi</i> 15.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	